



DR. RAMMANOR LOHIA AVADH UNIVERSITY, AYODHYA(U.P.)
डा० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक संख्या : लो०अ०वि०/ सम्ब०/ 2020 / ७९०

दिनांक २९-०२-२०२०

अनापत्ति पत्र

शासनादेश संख्या 2103/सत्तर-2-2012- 2(166)/2012 दिनांक: 09 अगस्त, 2012 एवं शासनादेश सं0 23/2016/ 772/सत्तर- 2-2016(116)/115,टी०सी० II दिनॉक 22 दिसम्बर, 2016 के अनुसार स्वावितपोषित योजना अन्तर्गत पूर्व संचालित पुराने महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/परास्नातक स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु प्राप्त अनापत्ति प्रस्तावों पर विश्वविद्यालय स्तर पर परीक्षणोपरान्त संस्तुति देने हेतु कुलपति, डा० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या, की अध्यक्षता में कार्यालय-ज्ञाप संख्या: लो०अ०वि०/ सम्ब०/ 2020 / 1370 दिनांक: 13.02.2020 द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 22.02.2020 में की गई अनुशंसा के अनुक्रम में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि पूर्व संचालित महाविद्यालय देव इन्द्रधनु महाविद्यालय, अरखापुर टाण्डा, अम्बेडकरनगर। को स्वावितपोषित योजना के अन्तर्गत एम०एस-सी० विषय/पाठ्यक्रम के शिक्षण कार्य हेतु निम्नलिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक कार्यों के संचालन हेतु अनापत्ति प्रदान की जाती है। शर्ते एवं विवरण निम्नवत हैं –

1. अनापत्ति स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों हेतु है/या परास्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों हेतु:- परास्नातक ।
2. अ—अनापत्ति से सम्बन्धित संकायः— कला संकाय, विज्ञान संकाय।
 ब—अनापत्ति से सम्बन्धित विषयः— परास्नातक स्तर पर एम०ए० में अतिरिक्त विषय भूगोल, गृहविज्ञान, उर्दू परास्नातक स्तर पर एम०एस०-सी० में अतिरिक्त विषय जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान विषयों।
3. महाविद्यालय के अनापत्ति से सम्बन्धित पाठ्यक्रम महाविद्यालय को निर्गत पूर्व अनापत्ति की भूमि ग्राम अरखापुर अन्दर नगर, परगना टाण्डा, तहसील टाण्डा, जिला अम्बेडकरनगर, की भूमि/गाटा संख्या 153/0. 057हे०, 156/0.057, 157/0.025, 162/0.114, 163/0.266 कुल 5 किता कुल रकबा 0.519हे० पर संचालित किया जायेगा। यदि महाविद्यालय द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों/विषयों को उक्त भूमि के गाटों के अन्यत्र संचालित किया जाता है तो प्रदत्त अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। साथ ही सम्बद्धता हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पादित नहीं की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी।
4. महाविद्यालय द्वारा याचित विषयों/पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों में मानकानुसार शिक्षकों का अनुमोदन होने के उपरान्त ही सम्बद्धता प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता प्रदान नहीं की जायेगी।
5. महाविद्यालय के सम्बद्धता हेतु निरीक्षण मण्डल का गठन हेतु आवेदन, निरीक्षण एवं अन्य कार्यवाहियों शासनादेश दिनॉक: 14 नवम्बर 2014 द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुरूप सम्पन्न की जायेगी। शासनादेश द्वारा निर्धारित अवधि के उपरान्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. उक्त पाठ्यक्रम / पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए स्टाफ के बेतन आदि पर पड़ने वाला समस्त व्ययभार संस्था द्वारा स्वयं अपने स्रोतों से वहन किया जायेगा एवं इस आशय की बचन बद्धता रु० 100/- (रु० एक सौ) मात्र के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटराइज्ड शपथ पत्र के माध्यम संचालक सोसाइटी/महाविद्यालय को इस पत्र के निर्गमन की एक सप्ताह की समयावधि में विश्वविद्यालय में अनिवार्यतः उपलब्ध करानी होगी।
7. उपरोक्त पाठ्यक्रम/ पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद ही महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश एवं शिक्षण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जायेगी। विश्वविद्यालय की सम्बद्धता प्राप्त किये बिना यदि महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रवेश किये जायें तो महाविद्यालय/संस्थान के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी तथा अवैध रूप से प्रवेशित छात्रों की परीक्षाएं विश्वविद्यालय द्वारा नहीं कराई जायेगी।
8. पाठ्यक्रम की सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब संस्थान/महाविद्यालय शासनादेश संख्या:-3075/सत्तर-2-2002-2(0166) /2002 दिनांक 27 सितम्बर, 2002 एवं समय—समय पर जारी अन्य तत्सम्बन्धी शासनादेशों में विनिर्दिष्ट मानकों एवं निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यकतायें एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कर लेगी।

9. संस्थान/महाविद्यालय भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिये न तो उपरोक्त शासन या विश्वविद्यालय से मांग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई वित्तीय दायित्वों की देनदारी राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय की होगी।

10. उक्त पाठ्यक्रम के बाबत किसी लायब्रिलिटी से राज्य सरकार या विश्वविद्यालय का कोई सरोकार नहीं होगा।

11. राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता सम्बद्धता से पूर्व संस्थान/महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

12. यह अनापत्ति वर्तमान अभिलेखों, पत्रजातों एवं अनापत्ति समिति की संस्तुति पर कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त/अनुमोदनानुसार निर्गत की जा रही है। यदि भविष्य में किन्हीं अभिलेखों, पत्रजातों इत्यादि में कोई परिवर्तन होता है या त्रुटि पायी जाती है तो इसके लिये सचिव, महाविद्यालय प्रबन्ध समिति जिम्मेदार होंगे तथा अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं सचिव महाविद्यालय प्रबन्ध समिति के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक व अन्य कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

उप कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. प्रबन्धक, देव इन्ड्रघाटी महाविद्यालय, अरखापुर टाण्डा, अस्सीकरनगर।
3. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. पत्रावली।

उप कुलसचिव
३०/२०२०